

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 214  
उत्तर देने की तारीख: 03.02.2020

नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना

†214. डॉ. जयंत कुमार राय:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान देश के विभिन्न भागों में नए केंद्रीय विद्यालय (के.वी.) स्थापित करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों ने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु संसद सदस्यों आदि जनप्रतिनिधियों से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार के पास आकांक्षी जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : भारत सरकार ने अगस्त, 2018 में 13 नए केंद्रीय विद्यालय और मार्च, 2019 में 50 नए केंद्रीय विद्यालयों को संस्वीकृत किया था। इनमें से, अब तक 36 केंद्रीय विद्यालय

खोले गए हैं और कार्यात्मक किए गए हैं। शेष 27 मामलों में, संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में चिन्हित/सीमांकित भूमि का हस्तांतरण करना है और केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए प्रशासनिक आदेशों को जारी करने से पहले अस्थायी भवन का अधिग्रहण भी देना है। इन केंद्रीय विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : केवीएस ने सूचित किया है कि नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से निर्धारित प्रपत्र में 104 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, केवल 16 प्रस्तावों को केंद्रीय विद्यालयों के मानकों के अनुसार आवश्यक पूर्वापेक्षाओं के अनुरूप पाया गया है। शेष प्रस्तावों को विसंगतियों को दूर करने के लिए वापस भेजा गया है।

(ग) : केवीएस ने आगे सूचित किया है कि नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए माननीय संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों से कुछ संदर्भ भी प्राप्त हुए हैं। तथापि, नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब वे संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होते हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती रीति" के अंतर्गत अन्य प्रस्तावों से मुकाबला करना होता है।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, 117 महत्वाकांक्षी जिलों में 167 केंद्रीय विद्यालय पहले से ही कार्यात्मक हैं।

\*\*\*\*

अनुबंध

‘नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना’ के संबंध में डॉ. जयंत कुमार राय, डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री भोला सिंह और श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 214 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उन 27 मामलों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण जिनके लिए संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों को चिन्हित/सीमांकित भूमि का हस्तांतरण करना है और साथ ही अस्थायी भवन का अधिग्रहण भी देना है

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	हेयुलीयांग
2.	बिहार	नवादा (एलडब्ल्यूई), देवकुंड और 205 कोबरा सीआरपीएफ बीएन. ( बाराचट्टी ); 45वें बीएन एसएसबी ( बीरपुर );
3.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव (एलडब्ल्यूई)
4.	हरियाणा	बिलासपुर
5.	हिमाचल प्रदेश	धरमपुर
6.	जम्मू और कश्मीर	गंदोह भालेस्सा
7.	झारखंड	पलामू (एलडब्ल्यूई) और एसईटार डांगापोसी
8.	कर्नाटक	सदलगा
9.	केरल	त्रिकारकरा
10.	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
11.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली (एलडब्ल्यूई)
12.	ओडिशा	चंपुआ; चतरपुर
13.	राजस्थान	प्रतापगढ़
14.	तमिलनाडु	बीएसएफ कैंपस ( किट्टमपलयम ) और आईटीबीपी इयादपट्टी, आईटीबीपी शिवगंगई
15.	त्रिपुरा	बीएसएफ गोकुलनगर
16.	उत्तर प्रदेश	बांदा, 59 वें बटालियन । एसएसबी ( नानपारा ), मधुपुरी, सुमेरपुर
17.	उत्तराखंड	5 बीएन एसएसबी ( चंपावत )

\*\*\*\*\*